

यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

10 - 33 / 2025

1. लिच्छूराम पुत्र गोपालराम जाति ब्राह्मण निवासी करनपुरा, तहसील भादरा।  
:- प्रार्थीया

वनाम्

- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।  
:- अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरुस्ती  
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट  
उपस्थिति :- श्री विनोद पुनियां प्रार्थी  
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 18/5/2026

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 बीएचपी के खाता सं0 61/55 के मु0 न0 38 के किला न0 1 ता 4, 8 ता 14, 17 ता 24, मु0 न0 39 के किला ता 4, 7 ता 14, 17, 18 कुल 8.602 है0 नहरी बारानी, खातेदारी में प्रार्थी के नाम 1/8 राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का सही लिच्छूराम पुत्र गोपालराम के स्थान पर अशुद नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपालराम दर्ज है

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक बुक एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम लिच्छूराम पुत्र गोपालराम है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही प्रकार से उपयोग-उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पोर्ट पेश किया।

वहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने वहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही चक 2 बीएचपी के खाता सं0 61/55 के मु0 न0 38 के किला न0 1 ता 4, 8 ता 14, ता 24, मु0 न0 39 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14, 17, 18 कुल 8.602 है0 नहरी बारानी दारी में प्रार्थी के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का सही लिच्छूराम पुत्र गोपालराम के स्थान पर अशुद नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपालराम दर्ज है अतः प्रार्थी का अशुद्ध लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपालराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम लिच्छूराम पुत्र गोपालराम किया जावे ताकि प्रार्थी अपनी वाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, नकाई व पैन कार्ड व ग्राम पंचायत करनपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र व शपथ पत्र ताराचन्द लक्ष्मीनारायण जाति शर्मा निवासी करनपुरा व शपथ पत्र अर्जुनसिंह पुत्र लादूराम जाति वाल निवासी करनपुरा पेश किया जिसमें प्रार्थी का सही नाम लिच्छूराम होना बताया तथा

तहसीलदार गायरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण  
किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार  
को आदेशित किया जाता है कि वे यही मौजा एक 2 बीघम के खाता सं० 61/55  
न० 38 के किला न० 1 ता 4, 8 ता 14, 17 ता 24, मु० न० 33 के किला न० 1 ता 4,  
14, 17, 18 कुल 8.602 हे० नहरी बायगी खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में  
नारायण पुत्र गोपालराम की जगह सही नाम लिच्छुराम सई लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपालराम  
किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन ही तो रहन  
होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। तथा यदि पूर्व  
सी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि बरपाई  
दिवानसिंह के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम बरपाई पत्नी दिवानसिंह ही लागू

निर्णय आज दिनांक ...12/5/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में  
प्र गया।

(भागीरथ राम)

R.A.S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़